भारत का राजपत्र
The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27—मार्च 5, 2010 (फाल्गुन 8, 1931)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27—MARCH 5, 2010 (PHALGUNA 8, 1931)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 3rd February 2010

THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Direction No. NHB.HFC.DIR.28/CMD/2010—In exercise of the powers conferred by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system to the advantage of the country, it is necessary so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 (hereinafter referred to as the Principal Directions), shall, with immediate effect, be further amended in the following manner, namely :

1. In sub-paragraph (1) of paragraph 2 after clause (d), following clause shall be inserted, namely :

"(da) "control" shall have the same meaning as is assigned to it under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 :".

2. In the Principal Directions after paragraph 18, following paragraphs shall be insterted, namely :

"Prior approval of National Housing Bank in cases of acquisition or transfer of control of deposit taking housing finance companies.

18A. Any takeover of acquisition of control of a deposit taking housing finance company, whether by acqusition of shares or otherwise, or any merger or amalgamation of a deposit taking housing finance company with another entity, or any merger or amalgamation of an entity with a deposit taking housing finance company, shall require prior approval of the National Housing Bank in writing.

Application of other laws not barred

18B. The provisions of paragraph 18A shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law rules, regulations or directions, for the time being in force.".

S. SRIDHAR
Chairman and Managing Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27—मार्च 5, 2010 (फाल्गुन 8, 1931)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27—MARCH 5, 2010 (PHALGUNA 8, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2010

आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एन.एच.बी. एच.एफ.सी. निर्देश 28/सी.एम.डी./2010--राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक देश में, आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ एवं इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2001 (अब के बाद जिन्हें ''प्रमुख निर्देश'' संदर्भित किया जाएगा) में, इसके अतिरिक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, यथा :

1. धारा (घ) के बाद अनुच्छेद 2 के उप-अनुच्छेद (1) में, निम्नलिखित धारा शामिल की जाएगी, यथा :

''(डीए) ''नियंत्रण'' का वही अर्थ होगा जैसे कि भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और समामेलन) विनियमावली 1997 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) की धारा (सी) के तहत् निहित है।''

2. अनुच्छेद 18 के बाद प्रमुख निर्देशों में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़े जाएंगे, यथा :

''जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कम्पनियों का अधिग्रहण या नियंत्रण हस्तांतरण करने के मामलों में राष्ट्रीय आवास बैंक का पूर्व अनुमोदन

18क. जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कम्पनी के अधिग्रहण या नियंत्रण हस्तांतरण करने पर, चाहे शेयरों के अधिग्रहण से हो या अन्यथा हो, या जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कम्पनी का किसी अन्य के साथ विलयन या समामेलन, या किसी संस्थान की जमा राशियां स्वीकार करने वाली आवास वित्त कम्पनी के साथ विलयन या समामेलन होने पर राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।

अन्य कानून लागू होने पर रोक नहीं

18ख. अनुच्छेद 18क के प्रावधान किसी अन्य कानून, नियमों, विनियमों या निर्देशों, जो उस समय लागू हों, के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके विरुद्ध होंगे।''

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक